रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235204
CG-DL-E-19042022-235204

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1767] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944
No. 1767] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

का.आ. 1857(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख की जन्म की तारीख 10 अक्टूबर, 1974 पुत्र डॉ. गुलाम मोहम्मद निवासी शेख लेन सं. 2, रोज़ एवेन्यू कॉलोनी, एचएमटी शाल्टेंग, श्रीनगर, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों में से एक है और उसका संबद्ध सदस्य है;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और उक्त शेख सज्जाद जम्मू-कश्मीर में हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित एक मामले में फरार है;

और उक्त शेख सज्जाद सक्रिय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती करने तथा आतंक के लिए धन मुहैया कराने में सम्मिलित रहा है;

और उक्त शेख सज्जाद लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ मिलीभगत करके जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में व्यस्त प्रेस एन्क्लेव क्षेत्र में 14 जून, 2018 को एक प्रमुख पत्रकार को उनके दो वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ खत्म करने के आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त पाया गया था ;

और केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त शेख सज्जाद गुल उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अत:,अब, केंद्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"37. शेख सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद गुल उर्फ सज्जाद अह शेख"।

[फा. सं. 11034/18/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण:— विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची को अंतिम बार अधिसूचना संख्या तारीख का. आ. 1737 (अ). तारीख 18 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

S.O. 1857(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh having date of birth on the 10th October, 1974, son of Dr. Ghulam Mohammad Sheikh, resident of Lane No. 2 Rose Avenue Colony HMT Shalteng, Srinagar, is one of the commanders and associate member of the terror outfit Lashkar-e-Taiba;

And whereas, Lashkar-e-Taiba is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the Act at serial No. 5;

And whereas, the said Sheikh Sajad is absconding in a case pertaining to recovery of Arms and Ammunition in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Sheikh Sajad has been actively radicalizing, motivating and recruiting youth of Jammu and Kashmir to support proscribed terrorist organisation Lashkar-e-Taiba and has been involved in terror funding;

And whereas, the said Sheikh Sajad was found involved in hatching criminal conspiracy, in-connivance with terrorists of the Lashkar-e-Taiba, in eliminating prominent journalist, along with his two personal security officers on the 14th June, 2018 at the busy Press Enclave area of Srinagar, Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh is involved in terrorism and the said Sheikh Sajad Gul @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:–

"37. Sheikh Sajad @Sheikh Sajjad Gul @Sajjad Gul @Sajjad Ah Sheikh".

[F.No. 11034/18/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:– The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1737(E)., dated the 18th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.19 16:39:20 +05'30'